भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1246
(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्व-सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए ई-मार्केटप्लेस

1246. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में व्यावसायिक उद्यमों , प्रौद्योगिकी और महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के वित्तपोषण का लाभ उठाने तथा बाजार और व्यवसाय के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्व-सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए कोई ई-मार्केटप्लेस शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार स्व-सहायता समूहों की आवश्यकता के अनुसार शैक्षिक/जागरूकता के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी क्षमता बढ़ाने में स्व-सहायता समूहों की सहायता कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ग्रामीण स्तर पर उत्पादक समूहों और जिला/ब्लॉक स्तर पर बड़े उद्यमों के गठन के लिए सहायता प्रदान करती है और उसे सुगम बनाती है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के व्यावसायिक उद्यमों, प्रौद्योगिकी और वित्त प्राप्त करने और देश भर में बाजार और व्यवसाय के विस्तार को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए उपाय इस प्रकार हैं:-

i) वित्तीय सहायता : दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) महिला एसएचजी को बैंक ऋण की सुविधा प्रदान कर रहा है। ये स्व-सहायता समूह उद्यम संवर्धन सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए अपने सदस्यों को यह निधि प्रदान करते हैं। अप्रैल 2013 से बैंकों द्वारा महिला एसएचजी को किया गया संचयी संवितरण 9,00,236.95 करोड़ रुपये है।

ii) एसएचजी उत्पादों के लिए विपणन सुविधा: मंत्रालय ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के सहयोग से एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए जीईएम में स्टोर फ्रंट के रूप में "सरस कलेक्शन" बनाया है। इसके अलावा , मंत्रालय ने दिनांक 02.11.2021 को फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ; अमेज़न के साथ दिनांक 12.05.2022 को; दिनांक 16.02.2023 को फशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) के साथ ; और दिनांक 22.12.2023 को जियोमार्ट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे कारीगरों , बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) उत्पादकों को राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिल सके।

मंत्रालय ने महिला एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए दो प्लेटफॉर्म भी शुरु किए हैं जो (i) दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को ईसरस वेब पोर्टल (लिंक: https://www.esaras.in/); (ii) एसएचजी के सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए 28 जून 2023 को ई-सरस मोबाइल एप्लिकेशन (गूगल प्ले प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) हैं।

iii) उत्पादक उद्यम/उत्पादक समूह: एकत्रीकरण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से एसएचजी सदस्यों को उनके कृषि उत्पाद के लिए बाजार पहुंच के लिए सहायता देने हेतु डीएवाई-एनआरएलएम ग्राम स्तर पर उत्पादक समूहों और जिला/ब्लॉक स्तर पर बड़े उद्यमों के गठन के लिए सहायता और सुविधा प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध I में दिया गया है।

iv) स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी): डीएवाई-एनआरएलएम के तहत यह एक उप-योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को सहायता देने के लिए एक परितंत्र का विकास किया जाता है। इस परितंत्र में व्यवसाय सहायता सेवाएं , सलाह, बीज पूंजी, प्रशिक्षण और व्यवसाय योजना और विपणन संबंधी क्षमता निर्माण करने के लिए घटक हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है।

(घ) जी हां , डीएवाई-एनआरएलएम स्थायी आजीविका के अवसर शुरू करने के लिए एसएचजी महिलाओं की क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। यह कार्यक्रम विभिन्न विषयों और कार्यकलाप के क्षेत्रों से संबंधित एसएचजी सदस्यों के ज्ञान , कौशल और दृष्टिकोण के निर्माण पर केंद्रित है। ये इस प्रकार हैं:

i. एसएचजी, ग्राम संगठनों (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) की अवधारणा और संचालन; एसएचजी, वीओ और सीएलएफ का बहीखाता और लेखापरीक्षा।

ii. वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग करेस्पौंडेंट, बीमा

iii. सामाजिक समावेशन (बुजुर्गों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), दिव्यांग व्यक्तियों आदि को संघटित करने के लिए)

iv. सामाजिक विकास (महिला पुरुष समानता, उचित स्वास्थ्य, पोषण, जल और स्वच्छता व्यवहार, पंचायती राज संस्थानों के साथ अभिसरण)

v. कृषि और गैर-कृषि दोनों कार्यकलापों में आजीविका के अवसर।

vi. विपणन और मूल्य श्रृंखला विकास।

(ङ) जी हां, डीएवाई एनआरएलएम ग्राम स्तर पर उत्पादक समूहों और राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर महिलाओं के स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनियों के संवर्धन को बढ़ावा देता है। मार्च, 2024 तक, राज्यों ने 1.60 लाख किसान उत्पादक समूहों को बढ़ावा दिया है, जिसमें 29 लाख महिला किसान और 1,124 महिलाओं के स्वामित्व वाली किसान उत्पादक कंपनियां (कृषि मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 686 उत्पादक कंपनियों सहित) शामिल हैं, जिनमें 13.43 लाख सदस्य हैं। गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, 16 उत्पादक उद्यम स्थापित किए गए हैं।

उत्तर के भाग (क) से (ग) का अनुबंध

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किसान उत्पादक समूहों की संख्या	किसान उत्पादक उद्यमों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	36845	240
2	अरुणाचल प्रदेश	640	0
3	असम	2698	41
4	बिहार	1068	64
5	छत्तीसगढ़	1514	59
6	गुजरात	946	02
7	गोवा	10	0
8	हरियाणा	45	0
9	हिमाचल प्रदेश	229	23
10	जम्मू और कश्मीर	184	12
11	झारखंड	3773	92
12	कर्नाटक	3135	63
13	केरल	75035	6
14	महाराष्ट्र	9835	92
15	मणिपुर	3	0
16	मेघालय	76	0
17	मिजोरम	116	1
18	मध्य प्रदेश	4571	93
19	नागालैंड	161	0
20	ओडिशा	3155	83
21	पंजाब	10	0
22	राजस्थान	2187	79
23	सिक्किम	152	0
24	तमिलनाडु	2610	4
25	तेलंगाना	3774	84
26	त्रिपुरा	977	0
27	उत्तर प्रदेश	4453	34
28	उत्तराखंड	502	9
29	पश्चिम बंगाल	1570	40
30	पुदुचेरी	44	3
	कुल	**160318**	**1124**

उत्तर के भाग (क) से (ग) का अनुबंध ।।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिन उद्यमों की सहायता की गई उनकी कुल संख्या (संचयी)
1	आंध्र प्रदेश	27,631
2	अरुणाचल प्रदेश	505
3	असम	4,840
4	बिहार	25,994
5	छत्तीसगढ़	20,197
6	गुजरात	1,398
7	गोवा	5,940
8	हरियाणा	9,773
9	हिमाचल प्रदेश	376
10	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	3,476
11	झारखंड	25,636
12	कर्नाटक	1,754
13	केरल	32,309
14	महाराष्ट्र	27,607
15	मणिपुर	7,146
16	मेघालय	1,695
17	मिजोरम	954
18	मध्य प्रदेश	1,308
19	नागालैंड	4,118
20	ओडिशा	15,043
21	पंजाब	3,007
22	राजस्थान	11,011
23	सिक्किम	371
24	तमिलनाडु	4,834
25	तेलंगाना	17,188
26	त्रिपुरा	682
27	उत्तर प्रदेश	28,014
28	उत्तराखंड	3,106
29	पश्चिम बंगाल	16,912
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0*
31	पुदुचेरी	0*
	कुल	**3,02,825**

* डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जारी है